बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)
Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 10/11/2023

अ०सं०:संबं0–6032/2023–774/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक–**04.11.2023** को गैर–सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर–सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों को कॉलम सं0 4 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से **सत्र–2023–24** हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl. No.	Name of Institute	District	Course	No. of Seat
1	2	3	4	5
1	Ram Sharan Roy College of Nursing	Vaishali	GNM	100
			ANM	100
2	Doon Institute of Nursing and Paramedical Sciences	Muzaffarpur	GNM	60
3	Maa Tarachandi Institute	Rohtas	ANM	60
4	Radiant Institute of Nursing	Saran	GNM	60
5	Ramdhari Singh Memorial Nursing School	Kaimur	ANM	60
6	Light's Institute of Medical Science and Hospital	Rohtas	ANM	60
7	S T College of Health Education	Patna	ANM	60
			GNM	60
8	R.B.S.R.D.R. College	Vaishali	ANM	60
9	S. K. Global School of Health Sciences	Muzaffarpur	ANM	60
10	Narmda ANM Paramedical Institute	Patna	ANM	60
11	S.R.T. Memorial ANM Training School	Bhojpur	ANM	60
12	Subhadra Devi School of Nursing	Vaishali	ANM	30
			GNM	60
13	Maa Kanti School of Nursing	Patna	ANM	100
14	Mata Sushila Institute of Education	Nalanda	GNM	60
			ANM	60

नियम एवं शर्तें:–

1. औपबंधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. औपबंधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्तों के अधीन होगी।
3. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान को सत्र–2023–24 हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान सत्र–2023–24 में बिना स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त प्राप्त किए नामांकन नहीं लेंगे।

4. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
5. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा Apex Regulatory Body से Approved सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। Apex Regulatory Body द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में Apex Regulatory Body द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
6. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आवेदन के साथ Application Fee तथा Inspection-Cum-Processing Fee के रूप में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया गया है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अविलंब निर्धारित शुल्क की राशि विश्वविद्यालय में जमा कर दें।
7. सूची में अंकित सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा माँग किए जाने पर जमा करेंगे।
8. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र–छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
9. विश्वविद्यालय/Concerned Apex Regulatory Body/बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एंव अन्य मापदण्डों की जॉच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
10. महाविद्यालय/संस्थान बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/ Concerned Apex Regulatory Body के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
11. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
12. महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

10/11/2023

(विमलेश कुमार झा)
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं॰–6032/2023–774/ **पटना, दिनांक** 10/11/2023

प्रतिलिपि–प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित नर्सिंग संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

10/11/2023
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं॰–6032/2023–774/ पटना, दिनांक 10/11/2023

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख(नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सचिव, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना/सभी प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

10/11/2023

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं॰–6032/2023–774/ पटना, दिनांक 10/11/2023

प्रतिलिपि–डीन(अकादमिक)/डीन(आयुष)/डीन(परीक्षा)/डीन(नर्सिंग)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी/कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

10/11/2023

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना